राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/GST / 14200-240 दिनांक 25-9-2017

कोषाधिकारी
समस्त।

आहरण वितरण अधिकरी
समस्त।

विषयः– **जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. हेतु रजिस्ट्रेशन के संबंध में।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक एफ.5(थ–75)कोष / आई.एफ.एम.एस. / जी.एस.टी. / 7008–7046 दिनांक 18.07.2017 एवं 12522–12560 दिनांक 04.09.2017**

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (कर) विभाग के पत्रांक F.12(5)FD/Tax/2017 दिनांक 14.07.2017 के निर्देशों के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा जी.एस.टी. के अन्तर्गत टी.डी.एस. कटोतिकर्त्ता के लिए समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जी.एस.टी. की वेबसाईट (www.gst.gov.in) पर टी.डी.एस. कटोतिकर्त्ता का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है। इस हेतु जी.एस.टी. की वेबसाईट पर प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी को Tax Payers रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर New रजिस्ट्रेशन विवरण में Tax deductor के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा।

अतः पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त आहरण वितरण अधिकारी जी.एस.टी. साईट पर टी.डी.एस. Tax deductor के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन की सूचना कोष कार्यालय को दी जायेगी तथा कोष कार्यालय द्वारा डीडीओं के रजिस्ट्रेशन की प्रतिदिन सूचना इस कार्यालय को भिजवायी जायेगी। इस संबंध में आहरण वितरण अधिकारी को रजिस्ट्रेशन कराने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो जिला वाणिज्यिक कर अधिकारियों से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/GST / 14241-242 दिनांक 25-9-2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
2. OSD, TRC, वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752